छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर–495001
E-mail-cgslsa.cg@nic.in, cgslsa@gmail.com
Phone- (07752) 220170, 222405 (NALSA Toll free 15100)

क्रमांक / 20 / एक–14–01 / 2025 बिलासपुर दिनाँक 06 / 01 / 2026

सहायक ग्रेड–तीन / प्रोसेस राईटर के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर तथा अधीनस्थ स्थापनाओ के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त सहायक ग्रेड–3 / प्रोसेस राईटर के पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग. व्यापम) द्वारा दिनाँक 06 / 09 / 2026 (छ.ग. व्यापम द्वारा जारी वार्षिक कैलेण्डर अनुसार संभावित तिथि) को लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। तत्पश्चात उनके द्वारा निर्धारित तिथि पर कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।

पदो का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) पद का नाम :– सहायक ग्रेड–तीन / प्रोसेस राईटर, 54 पद (सीधी भर्ती)

क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासिनी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सहायक ग्रेड–3 / प्रोसेस राईटर	24	07	15	08	07	02	04	02	02	00	01	00	02 (OA, OL, OAL)	54	19500–62000 पे लेवल 4

नोटः–**OA- ONE ARM, OL- ONE LEG, OAL-ONE ARM LEG**

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रोग्रामिंग / डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र।

(ग) मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन एवं टंकण परीक्षा मंडल / परिषद् से 5000 KEY डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी / अंग्रेजी टंकण का प्रमाण पत्र होना चाहिए (टंकण गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

1. छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–1 / 2023 / आ.प्र. / 1.3 नवा रायपुर दिनांक 03 / 05 / 2023 में जारी निर्देशानुसार राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों हेतु हैं।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रिमिलेयर में नहीं होने चाहिए।
4. आरक्षित पदो की संख्या कभी भी घट या बढ़ सकती है। यह विज्ञापन/भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

विज्ञापन, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

चयन प्रक्रियाः—

परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी।

(1) प्रथम चरण में बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसके प्राप्तांको के आधार पर पदों के पाँच गुना अभ्यार्थियों का चयन द्वितीय चरण(अर्हताकारी जांच) हेतु किया जावेगा।

(i) अंतिम स्थान पर आने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने पर सभी को द्वितीय चरण हेतु चयनित किया जायेगा।

(2) द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा (हिंदी में) आयोजित की जायेगी। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी को 15 मिनट के टाइपिंग परीक्षा में 250 शब्द (1250 KEY DEPRESSION) टाइप करने हेतु दिये जायेंगे तथा अभ्यर्थी को निम्न दो शर्तें पूरी करनी होगी :—

(i) टाइप करने हेतु दिए गए सभी 250 शब्दों को 15 मिनट में टाइप करना होगा।
(ii) टाइप किये हुए 250 शब्दों में से न्यूनतम 75% शब्द पूर्णतः सही टाइप करना आवश्यक होगा।

टीप — कौशल परीक्षा केवल योग्यता जांच हेतु ली जावेगी, इसके प्राप्तांक अंतिम चयन में नहीं जोड़े जायेंगे। केवल प्रथम चरण के प्राप्तांकों के आधार पर चयन होगा।

सामान्य नियम एवं शर्तेः—

1. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
2. 01.01.2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष (छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3—2/2015/1—3, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है)।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
4. छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासिनी महिलाओं हेतु अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट।
5. शासकीय सेवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट रहेगी।
6. उपरोक्त छूट सहित अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 27.09.2014 तथा परिपत्र क्रमांक एफ–13–2/2018/आ.प्रा./1–3 दिनाँक 29.08.2018 के अनुसार आरक्षण का प्रतिशत एवं समूह लागू होगा।
   अ) छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/204/20142आ.प्र./1.–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना होगा।
   ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिये उपयुक्त OA, OL, OAL दिव्यांग ही पात्र होंगे।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण राज्य में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. उक्त विज्ञापित पदों पर चयन/नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस. एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिकारियों एवं कर्मचारियों (भर्ती) नियम, 2012 यथा संशोधित, 2025 में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश एवं नियम लागू होंगे।
10. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।
11. सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना पूर्णाकों के आधार पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 13–2/2014/आ.प्र./1–3ए दिनांक 14.07.2017 के निर्देश का पालन किया गया है।
12. अभ्यर्थी को अच्छे चरित्र, संतुलित मस्तिष्क एवं शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से मुक्त होना चाहिए।
13. अभ्यर्थी के एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं होना चाहिए।
14. अभ्यर्थी को माननीय उच्चतम न्यायालय, किसी माननीय उच्च न्यायालय, सरकार या वैधानिक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त/पदच्युत नहीं किया गया हो।
15. अभ्यर्थी को नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी नहीं पाया गया हों या किसी माननीय उच्च न्यायालय/संघ/राज्य लोक सेवा आयोग या सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया हों।
16. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है।
17. परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई टीए/डीए नहीं मिलेगा।
18. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर उक्त पद हेतु नियोक्ता अधिकारी है जिनके अधीन विज्ञापित रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जावेगी उक्त परीक्षा के परिणाम एवं आरक्षण में रिक्त पदों के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन एवं भर्ती की अन्य प्रक्रिया विभागीय भर्ती नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।
19. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रकिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के

अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है।

20. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 11 सितम्बर 2023 के द्वारा कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।
21. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं मूल प्रमाण पत्र चयन होने पर प्रस्तुत करना होगा।
22. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों के 05 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जावेगे।
23. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त चयन सूची के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें।
24. अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के समय कराया जावेगा। प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उक्त अभ्यार्थी की उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
25. प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहेगी।
26. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
27. नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन होने पर नियुक्ति आदेश के निर्धारित समय–सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी जिसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगें।
28. चयनित उम्मीदवारों का पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सेवा में लिया जावेगा।
29. सक्षम नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा चयनित उम्मीदवारों के आवश्यक अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति लेकर ही उनकी उपस्थिति कार्य में ली जायेंगी।
30. नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे।
31. उक्त भर्ती संबंधित जानकारी/सूचना/निर्देश समय–समय पर वेबसाईट https://chhattisgarh.nalsa.gov.in एवं https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर दी जावेगी। पृथक से अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जावेगी। अतः अभ्यर्थी उपरोक्त वेबसाईट का अवलोकन करें।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर (छ0ग0)